मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि प्रणाली जांच कर लेती है, यदि एसीईएस में उपलब्ध जानकारी के अनुसार निर्धारिती के प्रति कोई भी बकाया राशि है। कुछ निर्धारितियों, जो एसीईएस में चले गये थे के संबंध में पूर्व-एसीईएस बकाया और देयता जो लेखापरीक्षा जांच के दौरान ऑफलाइन मोड में है एसीईएस में नहीं ली गई है।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने सुझाव दियाकि ऑफलाइन में उपलब्ध देयता को एसीईएस का भाग बनाया जा सकता है।

[5] मै. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एसीएल मॉड्यूल हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में कार्य करता है।